उत्तर प्रदेश शासन
राज्य योजना आयोग-2
संख्याः 31/2016/9/5/35-आ-2/2007-69
लखनऊ : दिनांक 17 नवम्बर, 2016

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

जिला योजना समिति के सदस्य के रूप में मंत्रि-मण्डल के सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किये जाने विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या:9/5/35-आ-2/2007-69 दिनांक 14जून,2012 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्याः 01/2016/9/5/35-आ-2/2007-69 दिनांक 16 फरवरी,2016 में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 की धारा-4 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन निम्नलिखित जनपदों में उनके सामने अंकित मंत्रि-मण्डल के सदस्यों को जिला योजना समिति के सदस्य के रूप में, जो समिति के अध्यक्ष होंगे, नाम-निर्दिष्ट किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

	मण्डल	जनपद	नाम-निर्दिष्ट मा. मंत्रीगण
1	झांसी	झांसी	श्री मनोज कुमार पाण्डेय
2	आगरा	फिरोजाबाद	श्री जियाउद्दीन रिजवी
3	अलीगढ़	अलीगढ़	श्री शिवाकान्त ओझा

कृपया उपरोकतानुसार सम्बंधित जनपद में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

मुकुल सिंहल
प्रमुख सचिव, नियोजन।

<u>संख्याः 31/2016/9/5(1)/35-आ-2/2007-69 तददिनांक।</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1- समस्त मा. मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निजी सचिव को मा. मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- मा. मुख्य मंत्री जी के निजी सचिव।
3- मा.उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग के निजी सचिव।
4- मुख्य सचिव के निजी सचिव।
5- समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, मुख्य मंत्री।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद।
7- समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव।
8- समस्त विभागाध्यक्ष।
9- समस्त मण्डलायुक्त।
10-समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी।
11-संसदीय कार्य अनुभाग-1/2 ।
12-गोपन अनुभाग-1 ।
13-नियोजन विभाग तथा राज्य योजना आयोग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग ।
14-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ.प्र. को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कर दें।

आज्ञा से,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव, नियोजन।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।